समक्ष टी.पी.एस. मान, जे.

तरसेम *सिंह* – याचिकाकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य – उत्तरदाता

क्रिमिनल विविध नंबर 39421*M*/2006

28 अगस्त 2006

दंड प्रकिर्या सहिंता , 1973 – धारा 173 – याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप है कि उसने लगभग *20* साल पहले फर्जी मैट्रिकुलेशन प्रमाणपत्र जमा करके पुलिस विभाग हरियाणा में कांस्टेबल के रूप में अपनी भर्ती की थी और मैट्रिकुलेशन प्रमाणपत्रों के आधार पर अपने रिश्तेदारों को भी भर्ती कराया था । भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज । पुलिस ने जांच के बाद निरस्तीकरण (कैंसलेशन) रिपोर्ट पेश की । विचार न्यायालय ने परिवादी को नोटिस दिया । पुलिस द्वारा निरस्तीकरण रिपोर्ट वापस लेने का अनुरोध । क्या सक्षम न्यायक्षेत्र के न्यायालय के समक्ष पुलिस द्वारा प्रस्तुत रद्दीकरण रिपोर्ट वापस ली जा सकती है - नहीं । कैंसिलेशन रिपोर्ट सौंपने से पहले पुलिस ने पूरे मामले की गहन जांच की। एक बार पुलिस रिपोर्ट फॉरवर्ड होने के बाद पुलिस फाइनल रिपोर्ट वापस नहीं मांग सकती । हालाँकि, पुलिस आगे की जांच के लिए अनुमति मांगने के लिए उचित आवेदन कर सकती है। याचिका मंजूर । रद्दीकरण रिपोर्ट को वापस लेने की अनुमति देने वाले ट्रायल कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया गया।

निर्णीत हुआ कि पुलिस ने पूरे मामले की गहनता से जांच की और फिर कैंसिलेशन रिपोर्ट सौंपी। एफ.आई.आर. में खुद आरोप थे कि याचिकाकर्ता, उनके भतीजे रणजीत सिंह और उनके भाई कुलवंत सिंह ने जाली प्रमाण पत्र बनाकर पुलिस विभाग में नौकरी हासिल की।
अभियोजन का यह मामला नहीं था कि याचिकाकर्ता के भतीजे और भाई के फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी पाने का तथ्य निरस्तीकरण रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद सामने आया। इस हद तक राज्य का रुख कि याचिकाकर्ताओं ने फर्जी प्रमाणपत्र पेश करके दो और नामांकन करवा लिए, स्पष्ट रूप से गलत था। याचिकाकर्ता द्वारा कराए गए अन्य दो नामांकनों से संबंधित आरोप एफ.आई.आर. में काफी हद तक निहित थे और यह नहीं कहा जा सकता कि इन

आरोपों की पुलिस ने जाँच नहीं की। पुलिस ने आगे की जांच के लिए अनुमति मांगने के लिए कोई उचित आवेदन नहीं किया। पुलिस ने केवल रद्दीकरण रिपोर्ट वापस लेने का अनुरोध किया जिसकी अनुमति नहीं दी जा सकी।

(पैरा 6 एवं 8)

एस. एस. दीनारपुर, अधिवक्ता, याचिकाकर्ता के लिए.

कार्तार सिंह, अतिरिक्त महाधिवक्ता, हरियाणा, प्रतिवादी के लिए.

निर्णय

टी.पी.एस. मान, जे.

1. एफ.आई.आर. नंबर 248 दिनांक 18 अगस्त 2004 को धारा 420, 466, 467 व 471 आईपीसी के तहत थाना बलदेव नगर में दर्ज किया गया था। याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप है कि याचिकाकर्ता ने लगभग 20 साल पहले पुलिस विभाग, हरियाणा में एक कांस्टेबल के रूप में अपनी भर्ती का प्रबंधन किया था और उसने एक जाली मैट्रिकुलेशन प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया था। याचिकाकर्ता का यह भी आरोप था की जाली मैट्रिक प्रमाण पत्र के आधार पर अपने भतीजे रणजीत सिंह को हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल के पद पर भर्ती कराया। इसी तरह, याचिकाकर्ता के भाई कुलवंत सिंह को भी इसी तरह कांस्टेबल पद पर तैनात पाया गया।

2. जांच पूरी होने के बाद, पुलिस ने 14 मार्च, 2005 को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंबाला के समक्ष एक रद्दीकरण रिपोर्ट प्रस्तुत की। उक्त रिपोर्ट प्रस्तुत करने से पहले, उप जिला अटॉर्नी की राय भी प्राप्त की गई थी। उनकी राय के अनुसार, यह रद्दीकरण रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए यह एक उपयुक्त मामला था।

3. रद्दीकरण रिपोर्ट की प्रस्तुति के बाद, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंबाला ने शिकायतकर्ता को नोटिस जारी किया और मामले को 14 अक्टूबर, 2006 तक के लिए स्थगित कर दिया। इस बीच, पुलिस ने उक्त अदालत में एक आवेदन दायर किया कि उसे रद्दीकरण वापस लेने की अनुमति दी जाए ताकि मामले की पुनः जांच की जा सके । पुलिस के आवेदन को न्यायालय ने 8 मई, 2006

को पुलिस को रद्दीकरण रिपोर्ट वापस लेने की अनुमति देकर स्वीकार कर लिया। उक्त आदेश वर्तमान याचिका में विवादित है।

4. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया है कि रद्दीकरण रिपोर्ट को वापस लेने की अनुमति देते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंबाला द्वारा पारित आदेश स्पष्ट रूप से और स्वाभाविक रूप से अवैध, अन्यायपूर्ण, मनमाना और गलत था क्योंकि मजिस्ट्रेट इस तरह का आदेश पारित करने में सक्षम नहीं था। एक बार पुलिस द्वारा सक्षम अधिकार क्षेत्र की अदालत के समक्ष कैंसलेशन रिपोर्ट पेश की गई तो पुलिस द्वारा उसे वापस नहीं लिया जा सका। याचिकाकर्ता के वकील ने ***जीवन सिंह बनाम राजस्थान राज्य 2004 (4) (Criminal) 717*** पर भरोसा किया जहाँ यह माना गया कि अंतिम रिपोर्ट एक बार पुलिस द्वारा प्रस्तुत की गई तो मजिस्ट्रेट द्वारा जांच अधिकारी को इस आधार पर वापस नहीं किया जा सकता कि यह किसी उच्च प्राधिकारी के अवलोकन के लिए आवश्यक है ।

5. राज्य के विद्वान वकील ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंबाला द्वारा पारित आदेश का समर्थन करते हुए प्रस्तुत किया है कि चूंकि याचिकाकर्ता ने फर्जी प्रमाण पत्र पेश करके दो और नामांकन कराए थे, इसलिए उसका चालान करना आवश्यक था और तदनुसार, अनुमति के लिए एक आवेदन दायर किया गया कि पुन: जांच के प्रयोजनों के लिए रद्दीकरण रिपोर्ट वापस ली जाए ।

6. पुलिस ने पूरे मामले की गहनता से जांच की थी और फिर कैंसिलेशन रिपोर्ट सौंपी थी । एफ.आई.आर. में खुद आरोप थे कि याचिकाकर्ता, उनके भतीजे रणजीत सिंह और उनके भाई कुलवंत सिंह को पुलिस विभाग में नौकरी मिली जाली प्रमाणपत्र तैयार करने के बाद प्राप्त की है । अभियोजन का यह मामला नहीं था कि याचिकाकर्ता के भतीजे और भाई के फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी पाने का तथ्य निरस्तीकरण रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद सामने आया। इस हद तक राज्य का रुख कि याचिकाकर्ता ने फर्जी प्रमाण पत्र पेश करके दो और नामांकन करवा लिए, स्पष्ट रूप से गलत था। याचिकाकर्ता द्वारा कराए गए अन्य दो नामांकनों से संबंधित आरोप एफ.आई.आर. में काफी हद तक

निहित थे। और यह नहीं कहा जा सकता कि इन आरोपों की पुलिस ने जाँच नहीं की।

7. ***जीवन सिंह मामले*** मे अदालत को पुलिस अधीक्षक के समक्ष पेश करने के अनुरोध पर पुलिस को अंतिम रिपोर्ट लौटाने के मजिस्ट्रेट के आदेश में कोई औचित्य नहीं मिला। यह माना गया कि एक बार पुलिस रिपोर्ट भेज दिए जाने के बाद, मामले की आगे जांच नहीं की जा सकती और पुलिस अंतिम रिपोर्ट वापस करने के लिए नहीं कह सकती। ज्यादा से ज्यादा , पुलिस उचित आवेदन कर सकती थी और आगे की जांच के लिए अनुमति ले सकती थी। यह निम्नानुसार निर्णीत किया गया था :

" मुझे विद्वान वकील द्वारा उठाए गए विवाद में तथ्य नजर आता है। कानून की यह अच्छी तरह से स्थापित स्थिति है कि धारा 173 (2) दंड प्रकिर्या सहिंता , 1973 के तहत एफआईआर दर्ज करने और रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद जांच के निष्कर्ष के बाद भी यदि पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को उसी घटना से संबंधित कोई और जानकारी मिलती है, तो वह अदालत की अनुमति से आगे की जांच कर सकता है और आगे के साक्ष्य, यदि कोई एकत्र किए गए हैं, भेज सकता है और धारा 173 (8), के तहत रिपोर्ट पेश कर सकता है । टी.टी. एंटनी बनाम केरल राज्य, 2001(3) आरसीआर (सीआरएल.) 436 (एससी): 2001 में दिए गए निर्णय से मैं अपने विचार से दृढ़ हूं। इस प्रकार, मेरी राय में, विद्वान मजिस्ट्रेट ने पुलिस अधीक्षक के समक्ष पेश करने के अनुरोध पर अंतिम रिपोर्ट एस. एच. ओ , पुलिस स्टेशन, सूरजपोल को लौटाने में घोर अवैधता की है। ऐसा नियम नहीं है कि एक बार पुलिस रिपोर्ट अग्रेषित करने के बाद मामले की आगे जांच नहीं की जा सकती और पुलिस अंतिम रिपोर्ट वापस मांग सकती है । पुलिस एक उचित आवेदन कर सकती है और आगे की जांच के लिए अनुमति मांग सकती है, जिसमें उच्च पुलिस अधिकारियों द्वारा जांच के संबंध में निर्देश शामिल हो सकते हैं। एक बार न्यायालय में प्रस्तुत की गई अंतिम रिपोर्ट एस.एच.ओ. द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर वापस नहीं की जा सकती, अभद्र तरीके से, जैसा कि इस मामले में किया गया है"

8. वर्तमान मामले में भी पुलिस ने आगे की जांच के लिए अनुमति लेने के लिए कोई उचित आवेदन नहीं किया। पुलिस ने केवल रद्दीकरण रिपोर्ट को वापस लेने का अनुरोध किया जिसे, जैसा कि ऊपर रखा गया है, अनुमति नहीं दी जा सकती है।

9. उपरोक्त को देखते हुए वर्तमान याचिका की अनुमति है और 8 मई, 2006 को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंबाला द्वारा रद्द की गई रिपोर्ट को वापस लेने की अनुमति देते हुए पारित आदेश को रद्द किया गया है और उक्त अदालत को रद्द रिपोर्ट पर विचार करने के निर्देश दिए गए हैं।

अस्वीकरण :
स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

आशीष कुमार मंडल
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
फिरोज़पुर झिरका, नुह